-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 15.03.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग कर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले 10-10 हजार रुपए के इनामी दो अन्य वांछित अभियुक्तों को थाना मटौंध पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.03.2026 को थाना मटौंध पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर फर्जी जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले 10-10 हजार रुपए के इनामी दो अन्य वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के खुटला निवासी देबिया पुत्र चैतुवा द्वारा दिनांक 12.02.2026 को थाना मटौंध पर अपने 34 बीघा जमीन की कुछ लोगों द्वारा फर्जी रजिस्ट्री कराने के सम्बन्ध प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना मटौंध पर अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जिसमें थाना मटौंध पुलिस द्वारा दिनांक 14.03.2026 को 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 15.03.2026 को थाना मटौंध पुलिस द्वारा 02 अन्य अभियुक्तों को भूरागढ़ बाइपास से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आजम खान पुत्र अयूब खान निवासी बिजली खेड़ा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. भागवत प्रसाद उर्फ बबलू पुत्र विष्णु निवासी जौरही थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

➢ मु0अ0सं0 29/26 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)340(2)/352/351(3) बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना मटौंध जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 थाना मटौंध श्री दीपेन्द्र सिंह
2. म0उ0नि0 सृष्टि नगायच
3. कां0 रवि कुमार
4. कां0 शिवम कुमार
5. पीआरडी सुनील कुमार